आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

दिनांक : 26.07.2024 समय : 0705

<><><><><><><>

- उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है।
- अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से असाधारण सेवा को सम्मानित करने के लिए अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया।
- शिकायतों के निवारण के लिए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से रविन्द्रनगर ग्राम पंचायत लिटिल अंडमान मे कल कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया।
- मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने नगरपालिका परिषद द्वारा ब्रुक्शाबाद में स्थापित मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का उद्घाटन किया।

<><><><><><><>

उप–राज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने कारगिल विजय दिवस के पच्चीसवीं वर्षगांठ के अवसर पर द्वीपवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह दिन कारगिल युद्ध में हमारे सैनिकों के अमूल्य साहस, शौर्य और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बलों ने शौर्य और पराकम का प्रदर्शन कर सैन्य विजय हासिल की। उन्होंने कहा कि हमें हमारे वीर सैनिकों से प्रेरणा लेकर उसे अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। इस अवसर पर उप–राज्यपाल ने सभी द्वीपवासियों से भारतीय सशस्त्र बलों की निस्वार्थ सेवा और सर्वोच्च बलिदान को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का आह्वान किया है।

<><><><><><><>

अंडमान निकोबार पुलिस की ओर से असाधारण सेवा को सम्मानित करने के लिए कल अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक देवेश चन्द्र श्रीवास्तव मुख्य अतिथि थे। पुलिस महानिदेशक ने एक सौ तिरालीस अधिकारियों एवं कर्मियों के आसाधारण समर्पण एवं विशिष्ट सेवाओं को सम्मानित किया, जिसने हमारे समुदाय की सुरक्षा

और कल्याण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समारोह के दौरान करीब सौ से अधिक अधिकारियों को अति उत्कृष्ट सेवा पदक और उत्कृष्ट सेवा पदक प्रदान किया गया। इन पुरस्कारों के अलावा तीन श्रेणियों में स्वर्ण, रजत और कांस्य में पैंतीस डी जी पी प्रशंसा डिस्क प्रदान की गई। इसके अलावा अग्निशमन सेवा और होम गार्ड के छह प्राप्तकर्ताओं को डी जी एफएस सीडी और एचजी प्रशंसा डिस्क से सम्मानित किया गया। समापन अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने अंडमान निकोबार पुलिस द्वारा की गई सराहनीय पहलों और उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में चर्चा की और उनके द्वारा अपनाए गए सार्वजनिक सेवा में उत्कृष्टता के लिए उनके अथक प्रयासों पर गर्व व्यक्त किया।

<><><><><><><>

द्वीपसमूह में स्कूलों को तम्बाकू मुक्त बनाने और बनाए गए नियमों को लागू करने के लिए सभी शैक्षणिक संस्थानों और प्रबंधन एजेंसियों के लिए आदेश जारी किया गया है। दक्षिण अंडमान ज़िले के सभी सरकारी और निजी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख परिसर स्थल पर धूम्रपान निषेध क्षेत्र का बोर्ड प्रदर्शित करना होगा। मुख्य द्वार और स्कूल के बाहरी सीमाओं के सौ गज की परिधि पर तम्बाकू की बिक्री पर प्रतिबंध को दर्शाते तम्बाकू निषेध शैक्षणिक संस्थान का बोर्ड या बैनर भी प्रदर्शित करना होगा। कैन्टीन और होस्टल सहित किसी को भी पूरे शैक्षणिक संस्थान परिसर में किसी भी प्रकार के तम्बाकू के सेवन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इनमें संकाय सदस्य, विद्यार्थी, अभिभावक या आगन्तुक शामिल हैं। पुलिस और प्रवर्तन एजेसियों को उल्लंघन की जांच करने के लिए बेतरतीब जांच करने को भी कहा गया है। नियमों के तहत संस्थान प्रमुख या पदनामित अधिकारी को कैन्टीन सहित संस्थान परिसर में तम्बाकू का इस्तेमाल करने वालों पर दो सौ रूपये का जुर्माना लगाने के लिए प्राधिकृत किया गया है। संस्थान के मुख्य द्वार या सीमा के सौ यार्ड की परिधि में तम्बाकू की बिक्री करने वाले विक्रेताओं पर भी दो सौ रूपये का जुर्माना लगाने के लिए इन्हें ही प्राधिकृत किया गया है।

<><><><><><><>

शिकायतों के निवारण के लिए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से रविन्द्रनगर ग्राम पंचायत लिटिल अंडमान मे कल कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त अर्जुन शर्मा और उप–विभागीय मजिस्ट्रेट विनायक चामडिया उपस्थित

थे। पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों ने पंचायत के विभिन्न मुद्दों जैसे बिजली, सड़कों की मरम्मत और रखरखाव, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्वैरी उत्पादों की उपलब्धता आदि पर प्रकाश डालते हुए इन्हें जल्द से जल्द हल करने का अनुरोध किया। जिला उपायुक्त ने उठाए गए सभी मुद्दों को सुना और उसके निवारण का आश्वासन दिया। कैम्प कोर्ट के दौरान जनजातिय प्रमाणपत्र और मनरेगा कार्यों के अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किए गए। इसके बाद जिला उपायुक्त और उप–विभागीय मजिस्ट्रेट ने जनजातीय बस्ती का दौरा किया और आदिवासी नेताओं और ग्रामीणों के साथ बातचीत कर मुद्दों के शीघ्र निवारण के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। कैम्प कोर्ट के दौरान पंचायत के मछुआरों ने भी मुद्दे उठाए और उन्हें आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए मत्स्य विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त ने रवीन्द्र नगर ग्राम पंचायत के लिए नए पंचायत भवन की आधारशिला भी रखी।

<><><><><><><>

दक्षिण और मध्योत्तर अंडमान ज़िले में आवासीय और वाणिज्यिक संस्थानों को किराए या उप–किराए पर देने से पहले इसमें रहने वाले लोगों की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने में देने को कहा गया है। दोनों ज़िले के ज़िला मजिस्ट्रेटों की ओर से इस संबंध में आदेश जारी करते हुए यह कहा गया है कि इस निर्णय से असामाजिक तत्वों के भागने या छिपने पर रोक लगाया जा सकता है और इससे लोगों की सुरक्षा तथा ज़िले में शांति को भी कायम किया जा सकेगा। आदेश के तहत किसी भी मकान मालिक या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रबंधक या मालिकों को किराएदारों या पेईंग गेस्ट को रखने से पहले स्थानीय पुलिस थाने में इसकी जानकारी देनी होगी। नौकर के संबंध में भी यह आदेश लागू होगा। आदेश चौबीस जुलाई से लागू हो गई है और अगले साठ दिनों तक लागू रहेगी। यह आदेश होटल, गेस्ट हाउस, बेड एंड ब्रेकफास्ट, होम स्टे और लॉज पर भी लागू हो गई है।

<><><><><><><>

नगरपालिका परिषद द्वारा ब्रुक्शाबाद में मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की गई है। मुख्य सचिव केशव चन्द्र ने इसका उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे कूड़े–कचरे के निपटान की प्रकिया में बढ़ोत्तरी होगी और शहर स्वच्छ रहेगा। यह प्रयास

नगरपालिका परिषद की वहनीय शहरी विकास की ओर ठोस प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य सचिव ने शहर को साफ–सुथरा बनाए रखने में योगदान देने के लिए सफाई कर्मियों को प्रमाणपत्रों का वितरण किया। उन्होंने कचरा प्रबंधन को असरदार बनाने के लिए कई होटलों को भी स्वच्छता पुरस्कार से नवाज़ा। मुख्य सचिव ने स्वयं सहायता समूह– स्त्री हौसला की ओर से तैयार खाद से भरे बैग को कृषि अधिकारी को सौंपा, ताकि वे नगरपालिका परिषद के विभिन्न उद्यानों में इसका प्रयोग कर सके। परिषद के सचिव अमित काले ने अपने संबोधन में कहा कि स्थापित यह सुविधा सूखे कचरे का निपटान और प्रबंधन को बढ़ाने में मदद देगी और इससे कचरों को अलग–अलग करने की प्रकिया को और बेहतर बनाया जा सकेगा। श्री काले ने लोगों से अपने घरों में ही कचरों को अलग–अलग करने की आदत को अपनाने और कूड़े–कचरे बाहर न डालने का अनुरोध किया, ताकि शहर को स्वच्छ और साफ–सुथरा रखा जा सके।

<><><><><><><>

बम्बूफ्लाट उप–केन्द्र में जरूरी कार्य किए जाने के चलते आज दक्षिण अंडमान के कुछ भागों में सुबह आठ बजे से दिन में बारह बजे तक और कल सुबह आठ बजे से शाम तीन बजे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। यह कार्य मौसम पर निर्भर करेगा।

<><><><><><><>